कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नर्मदापुरम (म0प्र0)

—::आदेश::—

क्रमांकः350/दो—11—13/25 नर्मदापुरम, दिनांक 01.04.2026

श्री विपेन्द्र मालवीय, सहायक ग्रेड—3 नर्मदापुरम का मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2025 के नियम 37 के अंतर्गत, दिनांक 17.03.2026 एवं 18.03.2026 कुल 02 दिवस का आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाकर, दिनांक 17.03.2026 से 31.03.2026 तक कुल 15 दिवस का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम,(म.प्र.)

पृ0क्र0 1437/दो—11—13/25 नर्मदापुरम, दिनांक 01.04.2026

यथाआदेश प्रतिलिपिः—

01. प्रभारी अधिकारी कार्यालय अनुभाग, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ एवं श्री विपेन्द्र मालवीय, सहायक ग्रेड—3 को सूचित कराये जाने हेतु प्रेषित है।
02. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, नर्मदापुरम की ओर वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।

1/4/26.

जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम,(म.प्र.)